न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6802/2006/करौली

ठण्डी पुत्र कंचन जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा तन सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2006 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि ग्रम सलेमपुर तहसील सपोटरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 179 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा पर वादी/अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही खातेदारी व कब्जा काश्त में चला

आ रहा है। दौराने सेटलमेंट उक्त खसरा नं0179 के मिन नंबर 247, 248 व 249 रहे है। खसरा नंबर 247 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकीन चाह व खसरा नंर 248 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बंजड गैर मुमकीन खलियान सरकारी भूमि सिवायचक में दर्ज कर दिये गये। लेकिन आज भी उक्त भूमि पर वादी/अपीलांट का ही कब्जा है। उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.05 से वादी का वाद खारिज कर दिया । वादी/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.05 से व्यथित होकर एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2006 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गयी। राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06. 2006 से व्यथित होकर यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/अपीलांट के पक्ष में किया तथा तनकी संख्या 2 का निर्णय उसके विरूद्ध किया। तकनी संख्या 1 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में हो जाता है तो तनकी संख्या 2 व 3 गौण तनकीयात है उसके आधार पर विचारण न्यायालय ने जो वादी/अपीलांट के वाद को अस्वीकार किया है वह विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि वादी/अपीलांट का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का था। साबिक आराजी खसरा नंबर 179 पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चला आ रहा है। वादी

ने इस सबंध में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त बाबत बनी तनकी संख्या 2 को साबित कर दिया था । दौराने सेटलमेंट उक्त खसरा नं0 179 के नये खसरा नंबर 247, 248, 249 बने थे इस बात को प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 ने मौखिक गवाह के आधार पर विवादित भूमि पर वादी/अपीलांट का कब्जा होना नहीं मानते हुये उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मानते हुय उपखण्ड अधिकारी ने वादी का वाद विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया और राजस्व अपील अधिकारी ने भी अपने विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को यथावत रख दिया। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के अतं में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अति0राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि साबिक नंबर 179 से हाल नंबर 247 से 252 तक बनाये जाने की पुष्टि रिकार्ड से होती है । साबिक नंबर 179 का कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा था किन्तु जो वर्तमान खसरा नंबरान इससे कायम किये किये गये उनका रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साबिक नंबर 179 के कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा से नये नबंरान बनाये गये है जिनका रकबा भी 12 बीघा 3 बिस्वा होता है। इससे यह अनुमान होता है कि खसरा नं0 179 का कोई मिन नबंर रहा होगा यह बढा हुआ 2 बीघा रकबा उसी मिन नबंर का है क्योंकि वादी का साबिक रकबा तो मात्र 10 बीघा 3 बिस्वा का था। इसके अलावा रिकार्ड से यह साबित होता है कि यह नंबर मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा पररिवर्तनशील में दर्ज है जो कि राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण करने पर बनाया जाता है। वादी/अपीलांट द्वारा जिस खसरा नंबर को दावे के माध्यम से क्लेम किया है

वह नंबर राजकीय भूमि के है। अतः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने जो दावा खारिज करने का व अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने का जो निर्णय किया है वह विधिसम्मत है। बहस के अंत में राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस और पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन और मनन किया गया।

7. यह उल्लेखनिय है कि साबिक खसरा नं0 179 का कुल रकबा जो वादीगण के नाम रहा है वह रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा था। इस आधार पर अपीलांट/वादीगण मात्र 10 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा का ही क्लेम करने के नियमानुसार अधिकारी है। इससे अधिक रकबा क्लेम करने के लिए विधिक रूप से पात्र नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनिय है प्रदर्श–2 जो खाता चौसाला पेश की है उसमें साबिक नंबर 179 के अलावा अपीलांट/वादीगण के नाम दर्ज है परन्तु इनके सबंध में वादीगण द्वारा अपने दावे में यह विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन नंबरों से कौन कौन से नये नंबर बने है और उनका कितना रकबा कायम किया गया है। वादी द्वारा क्लेम किये गये दोनों खसरा नंबर विधिवत सेटलमेंट के बाद से निरन्तर और वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप मे दर्ज चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनिय है कि अन्य सबंधित सहखातेदारों को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो भी अनिवार्य पक्षकार की श्रेणी में आते है।

8. अतः समस्त विवेचन के उपरांत स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों उपखण्ड अधिकारी और राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय विधिसंगत रूप से पारित किये गये

है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य